जनाकीर्णता का समाधानः -

* **नये कारा भवनों का निर्माणः -** गोपालगंज में मंडल कारा के तथा दाउदनगर में उपकारा के नये भवनों का निर्माण किया गया। ये कार्यरत हैं। बेनीपट्टी उपकारा भवन प्रायः निर्मित है। इसे चालु किये जाने हेतु कतिपय शेष बचे कार्य वर्तमान वर्ष में पूर्ण कराने की योजना है। मंडल कारा, जमुई, भभुआ, अररिया, जहानाबाद, गोपालगंज फेज-2, औरंगाबाद फेज-2, उपकारा दानापुर, उदाकिशनगंज के नये भवनों का निर्माण कार्य प्रकियाधीन है।

- **काराओं की क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्यः -**

  राज्य की 55 काराओं में वर्तमान संसीमन क्षमता 31,937 है जिसमें 30,331 बंदी संसीमित है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वार्डस् के निर्माण कराये जा रहे है जिनकी पूर्णता के उपरान्त कुल संसीमन क्षमता 46,616 हो जायेगी। अतिरिक्त वार्ड निर्माण से जनाकीर्णता की समस्या बहुत हद तक कम हुई है।

सामान्य सुविधाएँः -

* राज्य की सभी काराओं में प्रशासन के उन्नयन एवं विकास के ध्येय से डीजल संचालित 7.5/10 के0 वी0 ए0 जेनरेटर सेट, कम्प्यूटर सेंटर, 4361 अदद बिजली पंखे, 456 अदद श्वेत श्याम टी. भी. 36 काराओं में एल.पी.जी. कुकिंग प्रणाली अधिष्ठापित किये गये हैं। जिसकी सुविधा कारा एवं बंदियों को प्राप्त हो रही है।

* बंदियों को प्रशिक्षण दिये जाने के ध्येय से करीब 45 लाख रू0 के उपकरण काराओं में उपलब्ध कराये गये हैं। बंदियों के सुधार एवं नैतिक उत्थान में ये सहायक हो रही है।

सुरक्षात्मक उपकरणः -

* राज्य की काराओं में 1226.92 लाख रू0 की लागत पर क्लोज सर्किट टी. भी. 647.754 लाख रू0 की लागत पर वीडियो कॉन `न्सिग प्रणाली 368.458 लाख रू0 की लागत पर बैगेज स्कैनर, डोर- `म मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वॉकी-टॉकी तथा सोलर सेल एवं इन्भर्टर अधिष्ठापित किये गये है। आन्तरिक सुरक्षा हेतु 1030 अद्द एस.एल.आर तथा 103,000 अद्द कार्टिज वाल राज्य की सभी काराओं में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु खरीदे गये हैं।

खुली जेल का निर्माणः -

बक्सर में खुली जेल की स्थापना की जा रही है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बिहार सुधारात्मक प्रशासन संस्थान का गठनः -

कारा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु आदर्श के0 कारा बेऊर के परिसर में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान गठन की स्वीकृति दी गयी है एवं निर्माण प्रकियाधीन है।

शैक्षणिक एवं नैतिक उत्थानः -

* **नालन्दा खुला विश्वविघालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की स्थापनाः -** आदर्श के0 कारा बेऊर, पटना एवं केन्द्रीय कारा, भागलपुर में नालन्दा खुला विश्वविघालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र की स्थापना बंदियों के ज्ञान प्राप्ति की इच्छा की पूर्ति हेतु किया गया है।

* **व्यवसायिक प्रशिक्षणः -** राज्य की कई काराओं में अधिष्ठापित निर्माणशालाओं में बंदी वस्त्र, टेन्ट एवं उपस्कर, तिरपाल, झाड़न, दरी, साबुन, अम्ब्रेला, कंबल, फिनाईल इत्यादि निर्मित किये जाते हैं। वर्ष, 2008-09 में 1086.66308 लाख रू0 की राजस्व प्राप्ति हुई तथा 2009-10 में 1067.96042 लाख रूपये राजस्व की प्राप्ति कारा विभाग को हुई है।

बंदी कल्याण एवं सुधारात्मक कार्यः -

क) कुछ काराओं में सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के उत्पाद उपलब्ध कराये जाने हेतु बूथ खोले गये हैं।

ख) आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर में पुस्तकालय की स्थापना की गयी है।

ग) बंदियों के नैतिक उत्थान तथा उनके चरित्र में गुणात्मक सुधार हेतु योग प्रशिक्षण/आर्ट ऑफ लिविंग का नियमित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

घ) राज्य की काराओं में संसीमित महिला बंदियों के साथ रह रहे छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्राथमिक स्वास्थ्य, खेल-कूद, एवं प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सम्प्रति राज्य की 15 काराओं में बच्चों के लिए क्रेस केन्द्र भी खोला गया है।

ड़) काराओं में अनेक बंदी निरक्षर हैं । मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से कारा विभाग के द्वारा बंदियों को साक्षर बनाने का कार्यकम प्रारंभ किया गया है। मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 23,10,000.00 रूपये की राशि इस कार्य हेतु स्वीकृत की गई। 50 वर्ष तक के निरक्षर बंदी इस कार्यकम से लाभान्वित हुए। कारा के पूर्व से शिक्षित बंदी के इस कार्य हेतु शिक्षण कार्य किया। उन्हें 200 रू0 प्रोत्साहन राशि देय थी। बाहर के प्रशिक्षक द्वारा बंदी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्रीय कारा में 8 केन्द्र, मंडल कारा में 4 केन्द्र तथा उपकारा में 2 केन्द्र बनाये गये थे।

च) काराओं में संसीमित महिला बंदियों को सेनिटरी नेपकिन देने का प्रावधान नहीं था। काराओं में संसीमित सभी महिला बंदियों को प्रति माह एक पैकेट सेनिटरी नेपकिन देने का प्रवधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

छ) महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को प्रत्येक 6 माह पर एक सेट कटोरा, चम्मच, गिलास, खेल सामग्री एवं पहनने का वस्त्र देने का आदेश दिया गया है। सभी बच्चों को प्रति माह नहाने का साबुन तथा बेबी पाउडर, प्रति दिन 2 फल व अण्डा तथा प्रति दिन 500 ग्राम एम एल दूध, 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए प्रति दिन 500 ग्राम चावल अथवा आटा तथा 100 ग्राम दाल, प्रति माह शरीर में लगाने हेतु 200 ग्राम सरसों का तेल देने का प्रावधान किया गया है।

ज) छः राष्ट्रीय त्यौहारों 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दशहरा, किसमस एवं ईद) पर दो रू0 प्रति बंदी की दर से फेस्टिवल डायट देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 15 रू0 प्रति बंदी किया गया है।

झ) बंदियों के दैनिक उपयोग की सामग्री की बिकी हेतु कैन्टीन खोलने की स्वीकृति दी गई है।

ट) बंदियों के लिये बंदी कल्याण कोष प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। इस कोष में राशि की प्राप्ति कैन्टीन में सामग्रियों की बिकी से होने वाले फायदे से, सरकार से प्राप्त अनुदान से अथवा अन्य श्रोत से होगी।

ठ) कारा में संसीमित सभी पुरूष बंदी को प्रति माह 100 ग्राम नहाने का साबुन दिये जाने की स्वीकृति दी गई है। पहले यह सुविधा केवल महिला तथा उच्च श्रेणी के बंदियों को उपलब्ध थी।

ड) बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद् के सहयोग से 15 काराओं में केस केन्द्र चलाया जा रहा है।

<u>काराओं में नये निर्माणशाला की स्थापनाः -</u>

क) आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना में बेकरी प्लान्ट का अधिष्ठापन तथा विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में प्रिंटिंग प्रेस का अधिष्ठापन किया गया है। प्रिंटिग प्रेस का उत्पाद सभी काराओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर, बक्सर एवं विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में तम्बु उद्योग हेतु विद्युत सिलाई मशीन अधिष्ठापित किये गये है।

<u>पर्याप्त कारा कर्मियों की नियुक्तियाँः -</u>

कारधीक्षक, चिकित्सक, कारापाल एवं सहायक कारापाल, कक्षपाल, मिश्रक इत्यादि रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की गई है एवं प्रकियाधीन है।

<u>नए कानूनः -</u>

क) बिहार कारा निम्न वर्गीय लिपिक संवर्ग नियमावली 2008 का गठन।

ख) बिहार कारा मिश्रक संवर्ग नियमावली 2008 का गठन।

ग) बिहार कारा कक्षपाल संवर्ग नियमावली 2008 का गठन।

घ) शेष संवर्गों की नियमावली विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन।

ड़) मॉडल प्रिजन मैनुअल, भारत सरकार के आधार पर बिहार राज्य में भी कारा हस्तक में संशोधन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

<u>राज्य दंडादेश परिहार परिषदः -</u>

काराओं में संसीमित आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों की समय पूर्व मुक्ति की अनुशंसा राज्य दंडादेश परिहार परिषद् द्वारा किया जाता है। अबतक कुल दस बैठकों में 336 आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों को मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

<u>बाल न्याय अधिनियम 2006ः -</u>

इसके अधीन बाल सजावार बंदियों को कारा मुक्त करने का प्रावधान है। अबतक कुल 3 बंदियों को कारा से मुक्त किया गया है जो अपराध के समय 18 वर्ष से कम उम्र के थे।